

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क्रमांक :- 27/2013)

(संस्थित दिनांक :- 23/01/2013)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. भवानी पुत्र रामसेवक कुशवाह उम्र 22 वर्ष
निवासी :- ग्राम नीरपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 23/12/2016 को घोषित)

01. अभियुक्त भवानी पर भा.द.सं. की धारा 323 एवं 324 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 28/12/2012 को सुबह लगभग 08:00 बजे नीरपुरा हैडपम्प के पास मौ में, फरियादी देवेन्द्र की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं आहत मुन्नीबाई को दाँतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 28/12/2012 को सुबह लगभग 08:00 बजे नीरपुरा हैडपम्प के पास मौ में, आरोपी भवानी द्वारा फरियादी देवेन्द्र जाटव की मारपीट करने एवं उसकी माँ मुन्नीबाई को दाँत से काटने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी देवेन्द्र जाटव द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी एवं आहत का मेडीकल कराया गया। मेडीकल रिपोर्ट में आहत मुन्नीबाई के दाँतों से काटकर चोट पहुँचाने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध थाना मौ की चौकी झाँकरी में जीरो पर अपराध क्रमांक 01/2013 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात् उक्त जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना मौ में दिनांक : 02/01/2013 को ही आरोपी के विरुद्ध असल अपराध क्रमांक 02/2013 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी देवेन्द्र, आहत मुन्नीबाई, साक्षीगण वासुदेव एवं रज्जाक के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त भवानी के विरुद्ध धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक :- 28/12/2012 को सुबह लगभग 08:00 बजे नीरपुरा हैण्डपम्प के पास मौ में, फरियादी देवेन्द्र की मारपीट कर एवं उसकी माँ आहत मुन्नीबाई को दाँतों से काटकर स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. इस विचारणीय बिन्दु के संबंध में फरियादी देवेन्द्र अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 11/08/2016 से तीन-साढ़े तीन साल पूर्व की होकर सुबह 08 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने ग्राम झोंकरी स्थित हैण्डपम्प पर पानी भर रहा था, तभी आरोपी भवानी ने आकर उसके बर्तन फेंक दिये और बोला कि पानी पहले मैं भरूंगा और भवानी ने उसके दाहिने गाल पर चाटा मारा था। साक्षी आगे कहता है कि जब उसकी माँ मुन्नीबाई उसे बचाने आई तो भवानी ने उनके बाये हाथ के अंगूठे में काट लिया था। फिर घटना में वासुदेव एवं रज्जाक ने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने चौकी झोंकरी में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका एवं उसकी माँ की डॉक्टरी कराई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका कथन लिया था।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में देवेन्द्र अ.सा.01 का यह कहना है कि साक्षी रज्जाक एवं वासुदेव के पानी भरने के बाद जैसे ही उसने हैण्डपम्प पर अपना बर्तन लगाया, वैसे ही आरोपी भवानी हैण्डपम्प पर आ गया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में देवेन्द्र अ.सा.01 का यह कहना है कि जिस समय आरोपी भवानी ने उसके गाल पर चाटा मारा था, उस समय घटनास्थल पर रज्जाक एवं वासुदेव मौजूद थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में देवेन्द्र अ.सा.01 का यह कहना है कि उसके एवं आरोपी भवानी

के मध्य पॉच-छः मिनिट का झगड़ा होता रहा था। साक्षी आगे कहता है कि जब उसके एवं आरोपी भवानी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब उसकी माँ मुन्नीबाई घर पर नहीं थी, घटनास्थल पर हैण्डपम्प पर थी और घटना के समय उसके साथ उपस्थित थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में देवेन्द्र अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी भवानी हैण्डपम्प पर पहले से ही पानी भर रहा था और फरियादी देवेन्द्र द्वारा उसके बर्तन हटा दिये गये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके एवं आरोपी के मध्य धक्का-मुक्की होने पर वह नीचे गिर गया था और उसकी माँ मुन्नीबाई जमीन पर गिर पड़ी थी, जिससे उसके बाये हाथ के अंगूठे में चोट आई थी। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसकी माँ मुन्नीबाई को काट लिया था और आरोपी धक्का देकर भाग गया था। आरोपी अधिवक्ता द्वारा साक्षी देवेन्द्र अ.सा.01 को प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में दिये गये उक्त सुझावों से घटना के समय घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति और उसके द्वारा आहत देवेन्द्र तथा उसकी माँ मुन्नीबाई अ.सा.01 एवं अ.सा. 02 से मारपीट करने के तथ्य की पुष्टि होती है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में देवेन्द्र अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी भवानी द्वारा उसकी एवं उसकी माँ की मारपीट नहीं की गई थी। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आहत देवेन्द्र अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। देवेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी. 01 के तथ्यों से भी हो रही है।

09. आहत/साक्षी मुन्नीबाई अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/08/2016 से साढ़े तीन साल पूर्व की सर्दियों के सीजन की होकर सुबह 08 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि उसका लड़का हैण्डपम्प पर पानी भरने गया था, हैण्डपम्प इटायदा वाली रोड़ पर लगा हुआ था। साक्षी आगे कहती है कि देवेन्द्र के साथ वह भी पानी भरने हैण्डपम्प पर गई थी। देवेन्द्र पानी भर रहा था, तभी आरोपी भवानी आया और बोला कि मैं पहले पानी भरूंगा, मैं बहुत देर का खड़ा हूँ। उसके बाद आरोपी भवानी ने उसकी तमहेड़ी फैंक दी एवं देवेन्द्र के चाटा मारा था। साक्षी आगे कहती है कि जब उसने बीच-बचाव कराया तो आरोपी भवानी ने उसके बाये हाथ के अंगूठे में काट लिया था, उसके बाद आरोपी भाग गया था। फिर घटना में वासुदेव एवं रज्जाक ने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहती है कि घटना की रिपोर्ट उसके लड़के ने चौकी झाँकरी में की थी। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका कथन लिया था।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मुन्नीबाई अ.सा.02 का कहना है कि वह एवं उसका लड़का देवेन्द्र पानी भरने के लिए घर से लगभग पौने आठ बजे निकले थे। साक्षी आगे कहती है कि जैसे ही उसका पानी भरने का नम्बर आया तो आरोपी भवानी

आ गया और उसने उसके बर्तन फेंक दिये और उसके लड़के देवेन्द्र को चाटा मार दिया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में मुन्नी अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके लड़के एवं उसकी कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसका अंगूठा नहीं काटा था, बल्कि साक्षी ने स्वयं अपने मुँह से अंगूठा काट लिया था। इस प्रकार मुन्नीबाई अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है। मुन्नीबाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से देवेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

11. अभियोजन साक्षी डॉ. आर.विमलेश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/12/2012 को डॉक्टर हरीश हासवानी के साथ सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक क्रमांक 151 लक्ष्मन द्वारा आहत मुन्नीबाई को मेडीकल हेतु लाये जाने पर डॉक्टर हासवानी द्वारा आहत का परीक्षण करने पर उसके बाये अंगूठे के उपर भाग पर दाँत से काटने का निशान पाया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत के बाये हाथ की चौथी अंगुली के जोड़ पर कड़ापन था एवं बाये कंधे पर कड़ापन था। साक्षी आगे कहता है कि चोट क्रमांक 01 दाँत के काटने से आना प्रतीत हो रही थी एवं चोट क्रमांक 02 एवं 03 सख्त एवं भौथुरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की होकर मेडीकल परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी। इस वावत् डॉ.हरीश हासवानी द्वारा दी गई तैयार की गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ.हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसके डॉ.हरीश हासवानी के साथ कार्य किया है, इसलिए उसके हस्ताक्षर एवं हस्तलेख को पहचानता है। साक्षी आगे का कहता है कि उसी दिनांक को आहत देवेन्द्र सिंह का डॉक्टर हरीश हासवानी द्वारा किया गया था, जिसमें आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। इस वावत् डॉ.हरीश हासवानी द्वारा दी गई तैयार की गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ.हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं। उसके डॉ.हरीश हासवानी के साथ कार्य किया है, इसलिए उसके हस्ताक्षर एवं हस्तलेख को पहचानता है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में डॉ.आर.विमलेश अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मुन्नीबाई अ.सा.02 को अंगूठे में आई काटने की चोट स्वकारित हो सकती है, परन्तु मुन्नीबाई अ.सा.02 ने उक्त चोट के स्वकारित होने के तथ्य से उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार किया है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह दर्शित होता हो कि मुन्नीबाई को कारित उक्त दाँतों से काटने की चोट स्वकारित थी। इस प्रकार डॉ.आर. विमलेश अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि डॉ.हरीश हासवानी द्वारा तैयार की गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। डॉ.आर.विमलेश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से देवेन्द्र अ.सा.

01 एवं मुन्नीबाई अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है कि दिनांक : 28/12/2012 को आहत मुन्नीबाई को मानव दाँतों से काटकर अंगूठे में चोट कारित की गई थी।

13. अभियोजन साक्षी रामजीलाल अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/12/2012 को थाना पुलिस चौकी झाँकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी देवेन्द्र की रिपोर्ट पर से आरोपी भवानी के विरुद्ध अदम् चैक क्रमांक 37/12 लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा मेडीकल परीक्षण के दौरान मुन्नीबाई को चोट क्रमांक 01 में टीथ बाइट का उल्लेख आने से धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया था तथा उसके द्वारा जीरो पर अपराध क्रमांक 01/13 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी भवानी के विरुद्ध लेखबद्ध की गई थी, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उक्त रिपोर्ट असल कायमी हेतु थाना मौ प्रस्तुत की थी, जहाँ पर असल अपराध क्रमांक 02/13 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 पर आरोपी भवानी के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा घटना दिनांक को ही आहत मुन्नी एवं देवेन्द्र का मेडीकल कराया गया था। दिनांक 03/01/2013 को मुन्नीबाई की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसने फरियादी देवेन्द्र, मुन्नीबाई एवं साक्षीगण वासुदेव एवं रज्जाक के बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किये गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 05/01/2013 को आरोपी भवानी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रामजीलाल अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने थाने पर बैठकर सम्पूर्ण विवेचना की है और वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार रामजीलाल अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा उसके जीरो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने एवं अपराध के विवेचना किये जाने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिससे अभियोजन कथा की पुष्टि होती है।

14. अभियोजन साक्षी वासुदेव अ.सा.03 एवं रज्जाक अ.सा.05 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी भवानी ने दिनांक :- 28/12/2012 को सुबह लगभग 08:00 बजे नीरपुरा हैडपम्प के पास मौ में, फरियादी देवेन्द्र की मारपीट कर एवं आहत मुन्नीबाई की दाँतों से काटकर स्वेच्छयाँ उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी भवानी के विरुद्ध धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी भवानी को धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

17. आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में छोटी-छोटी बातों पर मारपीट किये जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

18. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

19. आरोपी भवानी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कांकर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता श्री कांकर का कहना है कि आरोपी ग्रामीण पृष्ठभूमि का कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं युवा व्यक्ति हैं, और यह उसका प्रथम अपराध है। आरोपी भवानी उसके परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसे मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये, अन्यथा जेल जाकर उसके आदतन अपराधी बन जाने की प्रबल संभावना है। आहतगण को कारित हुई चोटों की अत्यंत साधारण प्रकृति एवं आरोपी द्वारा विगत तीन वर्ष से विचारण का सामना कर रहे होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय आरोपी अधिवक्ता के तर्क से सहमत है। फलतः आरोपी भवानी को धारा 324 भा.द.सं. के आरोप के लिए 700 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323 भा.द.सं. के आरोप के लिए 300 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

20. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाये।

21. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त राशि में से 700 रुपये आहत मुन्नीबाई को एवं 300 रुपये आहत देवेन्द्र को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र. स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद